

वाणिज्य विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (बी) के संदर्भ में सूचना


उप संकश न	मांगी गई जानकारी	अभ्युक्ति
4(b) (i)	संगठन के कार्यों और कर्तव्यों का विवरण	<p>वाणिज्यिक विभाग रेलवे द्वारा प्रदान किए गए परिवहन के विपणन और बिक्री के लिए, यातायात बनाने और विकसित करने के लिए, यात्रा और व्यापारिक जनता के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध व अच्छे जनसंपर्क बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। दरों, किराए और अन्य शुल्कों का निर्धारण और यातायात प्राप्तियों का सही संग्रह, लेखा और प्रेषण भी इसके कार्यों में से एक है।</p> <p>वाणिज्य संगठन चार्ट के लिए यहां क्लिक करें.</p>
4(b) (ii)	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	<p><u>वाणिज्य अधिकारियों व कर्मचारियों की शक्तियां :</u></p> <p>वाणिज्यिक अधिकारियों की शक्तियों को समय-समय पर रेल मंत्रालय द्वारा जारी शक्तियों की अनुसूची (भाग-ई वाणिज्यिक मामले) के तहत शामिल किया गया</p> <p>शड्यूल ऑफ पावर (पार्ट-ई वाणिज्य मामले) के अनुसूचि के लिए यहां क्लिक करें अधीनस्थ कर्मचारियों की शक्तियां कर्मचारी को सौंपे गए कर्तव्य की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। समय-समय पर रेल मंत्रालय के निर्देशों के आधार पर भी शक्तियां निर्भर रहती हैं.</p> <p><u>वाणिज्य अधिकारियों की ड्यूटियां :</u></p> <p>वाणिज्यिक विभाग को सौंपी गई गतिविधियों के सुचारु संचालन के लिए वाणिज्यिक अधिकारी जिम्मेदार हैं, जैसे इच्छुक यात्रियों को विभिन्न प्रकार के टिकटों की बिक्री, विभिन्न क्षेत्रों के लिए रियायती यात्रा प्रमाण पत्र, सामान, पार्सल और सामान की बुकिंग, वाणिज्यिक अनुबंध प्रदान करना आदि, पहचान पत्र प्रदान करना दिव्यांगों के लिए कार्ड, छात्रों के लिए रियायती यात्रा प्रमाणपत्र, सांस्कृतिक निकाय, खिलाड़ी आदि।</p> <p><u>पर्यवेक्षक कर्मचारियों की ड्यूटियां :</u></p> <p>मंडल कार्यालय में, कर्मचारी मंडल कार्यालय के वाणिज्यिक विभाग के कुशल संचालन के लिए वाणिज्यिक अधिकारियों की सहायता करते हैं।</p> <p>स्टेशनों पर, कर्मचारी वाणिज्यिक गतिविधियों जैसे टिकटिंग, टिकट चेकिंग, सामान/पार्सल बुकिंग और माल यातायात को संभालने में शामिल होते हैं।</p>

		इसके अलावा अधिकारियों और कर्मचारियों को रेलवे अधिनियम 1989 में निर्धारित प्रासंगिक नियमों और विनियमों के अलावा रेलवे प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न टैरिफ, कोड, भारतीय रेलवे वाणिज्यिक नियमावली और अन्य नियमावली, पुस्तकों और परिपत्रों से पूरी तरह से परिचित होना चाहिए।
4(b) (iii)	पर्यवेक्षण के चैनलों सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया	इस तरह की पहल के लिए निर्धारित प्रक्रिया का विधिवत पालन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल या भौतिक फ़ाइल में निर्णय लिया जा रहा है। प्रक्रियाओं को रेलवे अधिनियम/वाणिज्यिक कोड/वाणिज्यिक नियमावली-खंड-I और II/विभिन्न टैरिफ/समय-समय पर जारी अन्य दिशानिर्देशों में शामिल किया गया है। संभागीय कार्यालय में फाइलों को स्थानांतरित करने की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। कार्य के निर्वहन के लिए निर्धारित प्रक्रिया/मानदंड विभिन्न संहिताओं/नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुसार हैं। सामान्य प्रक्रियात्मक अनुदेशों को भी समय-समय पर दोहराया/जारी किया जाता है।
4(b) (iv)	कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड	कोड व मैनुअल के लिए रेलवे बोर्ड साइट पर क्लिक करें.
4(b) (v)	इसके द्वारा धारित या इसके नियंत्रण में या इसके कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड।	रेलवे कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए कई नियम, विनियम, निर्देश, कोड, नियमावली, अधिनियम आदि पहले ही प्रकाशित किए जा चुके हैं और उपयोग में हैं। रेलवे बोर्ड साइट के लिए क्लिक करें
4(b) (vi)	इसके द्वारा या इसके नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण।	रेलवे बोर्ड नीति परिपत्र, बोर्ड और अन्य विभागों के महत्वपूर्ण पत्र, जेपीओ, समझौते आदि। रेलवे बोर्ड डैरेक्टोरेट के लिए क्लिक करें यातायात वाणिज्य के लिए क्लिक करें.. कंप्यूटरीकरण व सूचना के लिए क्लिक करें
4(b)(vii)	किसी भी व्यवस्था का विवरण जो जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद है, इसकी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में।	जनता स्टेशनों पर उपलब्ध 'शिकायत सह सुझाव पुस्तिका' के माध्यम से और ट्रेनों, वेब पोर्टल आदि पर कर्मचारियों के साथ अपने सुझाव व्यक्त कर सकती है। यदि उन्हें कोई शिकायत है, तो उन्हें हेल्पलाइन नंबर 139 के माध्यम से रेलवे के ध्यान में लाया जा सकता है। विभिन्न मुद्दों पर प्रशासन को सुझाव देने के लिए DRUCC/ZRUCC नामक एक समिति है।

(b)(viii)	<p>बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का एक बयान जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हैं, जो इसके हिस्से के रूप में या इसकी सलाह के उद्देश्य से गठित हैं, और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं। , या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं।</p>	<p>डीआरयूसीसी के लिए क्लिक करें.</p>
4(b)(ix)	<p>अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निर्देशिका।</p>	<p>17-06-2021 तक, विजयवाड़ा मंडल के वाणिज्यिक विभाग में 05 वाणिज्यिक अधिकारी और 1381 कर्मचारी कार्यरत हैं। उनके नामों का डिस्प्ले कार्मिक/लेखा विभाग के क्षेत्राधिकार में है।</p>
4(b) (x)	<p>इसके नियमों में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली सहित, इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक।</p>	<p>अधिकारियों और कर्मचारियों का ग्रेड का उल्लेख करने हेतु के लिए वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया जाता है। यह मद लेखा एवं कार्मिक विभाग के क्षेत्राधिकार में है।</p>
4(b) (xi)	<p>अपनी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट जिसमें सभी पैन, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट का विवरण होता है।</p>	<p>आज की तारीख में, पार्सल हैंडलिंग, लेनिन की धुलाई, गैर-स्टॉक स्टेशनरी की खरीद आदि। ऐसा व्यय एवं उसका संवितरण वित्त विभाग की सहमति से किया जायेगा।</p>
4(b) (xii)	<p>आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के विवरण सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका।</p>	<p>समय-समय पर मुख्यालय के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में होगा।</p>
4(b)(xiii)	<p>इसके द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण।</p>	<p>वाणिज्य विभाग दिव्यांगों के लिए पहचान पत्र, छात्रों, सांस्कृतिक संस्थाओं, खिलाड़ियों आदि के लिए रियायती यात्रा प्रमाण पत्र प्रदान कर रहा है, जो बड़ी संख्या में हैं।</p>
4(b)(xiv)	<p>उपलब्ध या धारित सूचना के संबंध में विवरण, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में कम किया गया है।</p>	<p>संगठन, इसके विकास, बजट भाषण, बजट हाइलाइट्स, पर्यटक सुविधाओं, यात्री सूचना, ट्रेन सूचना, आवास की उपलब्धता, टिकटों की स्थिति, टिकटों की इंटरनेट बुकिंग, कई कोड/मैनुअल आदि से संबंधित जानकारी पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है, रेलवे की वेबसाइट www.scr.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है। कोड व मैनुअल भारतीय रेल पर उपलब्ध है.: रेलवे बोर्ड साइट पर क्लिक करें.</p>
4(b) (xv)	<p>जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय के काम के घंटे</p>	<p>यात्रा करने वाले लोगों के लिए उपयोगी जानकारी समय-समय पर समय सारिणी में उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा वाणिज्यिक विभाग के सभी कार्यों से संबंधित जानकारी रेलवे की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा, आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्रशासन के पास उपलब्ध है।</p>

	शामिल हैं, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए रखा गया है।	
4(b)(xvi)	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण।	<p><u>जन सूचना अधिकारी</u> श्री भास्कर रेड्डी (वरि. मंडल वाणिज्य प्रबंधक) संपर्क करें: (0866)-2574014 srdcmbza@gmail.com</p> <p><u>अपीलीय प्राधिकारी</u> श्री डी. श्रीनिवास राव (अपर मंडल रेल प्रबंधक - अवसंरचना) संपर्क करें: (0866)- 2573302</p>
4(b)(xvii)	इस तरह की अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है और उसके बाद हर साल इन प्रकाशनों को अद्यतन किया जा सकता है।	www.scr.indianrailways.gov.in पर निविदाओं, प्रेस संबंधी, महत्वपूर्ण समाचार आदि से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध है।

वाणिज्य विभाग संगठन चार्ट



01.01.2020 से 31.12.2021 तक विजयवाड़ा मंडल पर डीआरयूसीसी सदस्यों की सूची

क्र.सं.	की ओर से मनोनीत	प्रतिनिधि
1	मेसर्स आंध्र प्रदेश चांबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री फेडरेशन, विजयवाड़ा	श्री वेलगुडी सांबशिव राव, विजयवाड़ा 520 007
2	मेसर्स चिराला चांबर आफ कामर्स, चिराला	वाई. सत्यनारायण, चिराला – 523 155
3	मेसर्स भीमवरम चांबर आफ कामर्स , भीमवरम	श्री एमएसएन गुप्ता, भीमवरम – 534201
4	मेसर्स द गोल्ड सिल्वर व डायमंड मर्चेण्ट एसोसिएशन, ऑंगोल	श्रीमती नल्लमल्लि श्री शिल्पा, ऑंगोल-523 001
5	मेसर्स कृष्ण डिस्ट्रिक्ट राइस एंड आइल मिलर्स एसोसिएशन, वियवाड़ा	सूचना प्रतीक्षित
6	मेसर्स रैतु संक्षेमम सेवा संग, एलूरु	श्री नागम चंद्र नाग शिव वर प्रसाद, एलूरु – 534002.
7	मेसर्स द ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट एंड कोकनाडा टाउन पैसेजर्स एसोसिएशन, काकिनाडा	श्री ए.पी. रवि राज कुमार, काकिनाडा -533 002
8	मेसर्स द कंदुकूरु डिविज़न पैसेजर्स एसोसिएशन, सिंगरायकोंडा	श्री के. विजय कुमार, सिंगरायकोंडा – 523 101
9	मेसर्स बिजवाड़ा कंसुमर्स काउंसिल, विजयवाड़ा,	श्री टी रवींद्र प्रताप कुमार, विजयवाड़ा – 520 008.
10	मेसर्स आंध्र प्रदेश विकलांगुल हक्कुला पोरट समिति, तेनाली	श्री डी.एस.एन. कार्तिक, तेनाली – 522 210.
11	माननीय सांसद आदि की ओर से नामांकन	श्री मर्गनी जगदीश्वर राव, राजमहेंद्रवरम – 533 107
12	माननीय सांसद आदि की ओर से नामांकन	श्री दंडमूडि वेंकटेश्वर राव, पेदवेलमिल्ली - 534 411.
13	माननीय सांसद आदि की ओर से नामांकन	श्री जय राजु, मंडितोका, फ्लैट नं.401, श्री साई दीपिका एन्क्लेव वेंकटरमणा
14	माननीय सांसद आदि की ओर से नामांकन	श्री तल्ला सांब मूर्ति, गोडि- 533 217.
15	माननीय सांसद आदि की ओर से नामांकन	श्री गिरिजा श्रीनिवास, विजयवाड़ा – 520 007.
16	माननीय सांसद आदि की ओर से नामांकन	श्री श्रीराम, विजयवाड़ा – 520 001
17	माननीय सांसद आदि की ओर से नामांकन	श्रीमती सिवराजु वसुंधरा देवी नूजिवीडु – 521 201
18	माननीय सांसद आदि की ओर से नामांकन	श्रीमती बी. नागलक्ष्मी, विजयवाड़ा – 520 016.

19	माननीय सांसद आदि की ओर से नामांकन	अरुणा नारुमंची, विजयवाड़ा – 520 010
20	माननीय सांसद आदि की ओर से नामांकन	श्री वेंकट कृष्णा रामिनेनी, गुडिवाडा – 505 531.
21	माननीय सांसद आदि की ओर से नामांकन	श्री दासरी रवि कुमार, विजयवाड़ा – 520 010.
22	माननीय सांसद आदि की ओर से नामांकन	श्री पथिवाडा नरसिंहा राव विजयवाड़ा – 520 015.
23	माननीय सांसद आदि की ओर से नामांकन	श्री किलरु श्रीनिवास राव विजयवाड़ा – 520 001.
24	माननीय सांसद आदि की ओर से नामांकन	श्री मन्ने श्रीनिवास राव, मंगोल्लु– 521 178,
25	माननीय सांसद आदि की ओर से नामांकन	श्री राम सुब्बा राव विजयवाड़ा – 520 003.
26	माननीय सांसद आदि की ओर से नामांकन	श्री चौटपल्ली विक्रम किशोर देंदुलूरु (एम) – 534 450
27	माननीय सांसद आदि की ओर से नामांकन	श्रीमती बोरगम वेंकट लक्ष्मी, कोट्टा देवरगोंडा -534 315
28	माननीय सांसद आदि की ओर से नामांकन	श्री यनुमल केसव रेड्डी, गुंटूरु – 522 006.
29	माननीय सांसद आदि की ओर से नामांकन	श्री सत्यवाड श्रीनिवास, उंडी – 543 199
30	माननीय सांसद आदि की ओर से नामांकन	श्री बंडि स्याम सुंदर राव, गूडूर – 524 101
31	माननीय सांसद आदि की ओर से नामांकन	श्री गोंगिनेनी अनिल कुमार, गुंटुपल्ली – 521 241
32	माननीय सांसद आदि की ओर से नामांकन	श्री बोड्डु श्री राम मूर्ति, चौडवरम– 531 036,
33	माननीय सांसद आदि की ओर से नामांकन	श्री मद्दलि श्रीनी, सामर्लकोटा – 533 440,